

७

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-187/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० दिव्या ज्योति, ट्यूटर, पैथोलॉजी विभाग, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना के दिनांक-10.10.2026 से 07.04.2027 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

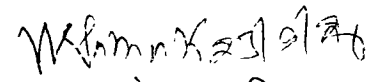
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-187/2026- 225/12 पटना, दिनांक 25/9 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रमारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना / विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना / डा० दिव्या ज्योति, ट्यूटर, पैथोलॉजी विभाग, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
B